भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 284 का उत्तर

पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास

284. श्रीमती रचना बनर्जी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मौजूदा रेलवे स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पुनर्विकसित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में पुनर्विकास हेतु अब तक चिह्नित किए गए रेलवे स्टेशनों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके पुनर्विकास के लिए स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित किए गए लक्ष्य और अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्रीमती रचना बनर्जी के अतारांकित प्रश्न सं. 284 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत् आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लेटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों छोरों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडॉल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की भी परिकल्पना करती है।

S.K

अब तक, इस योजना के तहत 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिसमें से 101 स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास हेतु चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार है:-

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों का नाम
पश्चिम बंगाल	101	आद्रा, अलीपुरद्वार जंक्शन, अलुआबारी रोड, अंबिका कलना, अनारा, अंडाल जं., अंडुल, आसनसोल जं., अजीमगंज , बगनान , बल्ली, बालुरघाट, बंदेल जं., बनगांव जं., बांकुरा, बाराभूम, बारासात, बर्द्धमान, बैरकपुर, बेल्दा, बरहामपुर कोर्ट, बेथुआडहारी, भालुका रोड, बिन्नागुड़ी, बिष्णुपुर, बोलपुर शांतिनिकेतन, बर्नपुर, कैनिंग, चंदन नगर, चांदपाड़ा, चंद्रकोना रोड, दलगांव, दलखोला, दानकुनी, धुलियान गंगा, धूपगुड़ी , दीघा, दिनहाटा, दमदम जंक्शन, फालाकाटा, गरबेटा, गेडे, हल्दिया, हल्दीबाड़ी, हरिश्चंद्रपुर, हासीमारा, हिजली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, जंगीपुर रोड, झालिदा, झारग्राम, जॉयचंदीपहाड़, कलियागंज, कल्याणी घोषपारा, कल्याणी जंक्शन, कामाख्यागुड़ी, कटवा जंक्शन, खगराघाट रोड, खड़गपुर, कोलकाता, कृष्णानगर सिटी जंक्शन, कुमेदपुर, मधुकुंडा, मध्यमग्राम, मालदा कोर्ट, मालदा टाउन, मेचेदा, मिदनापुर, नबद्वीप धाम, नैहाटी जंक्शन, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूच बिहार, न्यू फरक्का, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू माल जंक्शन, औंडाग्राम, पानागढ़, पांडाबेश्वर, पंसकुरा, पुरुलिया जंक्शन, रामपुरहाट, राणाघाट, सैंथिया जंक्शन, सालबोनी, सैमसी, संतरागाछी, सियालदह, शालीमार, शांतिपुर, शिवराफुली जंक्शन, सिलीगुड़ी, सीतारामपुर, सिउरी, सोनारपुर जंक्शन, सुइसा, तामलुक, तारकेश्वर, तुलिन, उलुबेरिया ।

S.K

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए उपगत व्यय का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। पश्चिम बंगाल राज्य चार क्षेत्रीय रेलों अर्थात पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और मेट्रो रेलवे द्वारा कवर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष अर्थात् 2024-25 (अक्टूबर, 2024 तक) में इन क्षेत्रीय रेलों के लिए कुल 3233.28 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं और 2296.39 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति पर जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करने, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), अतिलंघन यात्रियों के आवागमन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

******

S.K